कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./विविध/12243 रायपुर, दिनांक 21/11/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू– प्रबंध /व.सं.अ.)
नवा रायपुर (छ.ग.)

विषयः– **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 Proposed for jio Digital private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Dhamtari Forest Division under Chhattisgarh Sancharkaranti Yojana (SKY), area-3.786 ha. regarding.**
ऑनलाईन पंजीयन क्र.–FP/CG/OFC/45153/2022 Date 27.05.2022

संदर्भः– वनमंडलाधिकारी ,धमतरी वनमंडल धमतरी का पत्र कमांक / मा.चि./ व.सं.अ. /26/ सी/ 2379 दिनांक 18.11.2022

––00––

विषयांतर्गत निवेदन है कि वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदक संस्थान जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत धमतरी–अंजोरा, अंजोरा–नगरी, दोमपदर–मानपुर, काडादाह–माडमसिल्ली, गोबरानवापारा – पाण्डुका एवं सलना–करीपानी मुख्य मार्गो के समानांतर कुल 165.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु रकबा 3.786 हे. वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम,1980 अंतर्गत व्यवर्तन प्रस्ताव 21 बिन्दुओं के चेक लिस्ट अनुसार तैयार कर आपकी ओर प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव में आपके द्वारा 01 बिन्दु की आपत्ति ली गई है उक्त आपत्ति का निरकारण निम्नानुसार किया है :–

प्रस्ताव के कंडिका 7 में संलग्न प्रपत्र 04 आवेदक संस्थान के द्वारा भरा जाता है। आवेदक संस्थान को वनक्षेत्र में पाये जाने वाले वनस्पतियों एवं प्राणीयों की जानकारी नहीं होती है। उनके द्वारा प्रस्ताव तैयार करते समय उक्त बिन्दु की पूर्ति हेतु वन विभाग से संपर्क नहीं किया गया है। जबकि वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भाग–2 वनमंडलाधिकारी द्वारा आवेदित क्षेत्र के स्थल निरीक्षण उपरांत भरा जाता है। भाग–2 की बिन्दु XI में भरी गई वनस्पति और प्राणीजात की जानकारी आवेदित क्षेत्र के आस पास के वनक्षेत्रों में पाये जाने वाले वनस्पति और प्राणी के अनुसार भरा गया है। अतः वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भाग –2 की बिन्दु XI में भरी गई जानकारी को मान्य किया जावे लेख किया गया है जिस पर इस कार्यालय द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्रथम चरण स्वीकृति हेतु 03 प्रतियों में मय डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट सहित आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
(प्रस्ताव 03 प्रतियों मेंडी.जी.पी. एस. रिपोर्ट सहित)

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/तक.शा./विविध/12244 रायपुर,दिनांक 21/11/2022

प्रतिलिपि :–

1. वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. महाप्रबंधक, (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड चौथी मंजिल रायपुर (छ.ग) रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

21/11/22

DM Letter 2022

49(A)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – 3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नहीं) यदि हां हो तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें ।

नहीं

2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।

अनुशंसित

दिनॉक :– 21-11-2022

स्थान :– रायपुर

JRNayak 21/11

जे. आर. नायक

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)